न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री अनिल कुमार आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
40/2018	धारा 212 RTA	20.12.2018	05.10.2023

1. मोहम्मद जाबिद कुरेशी पुत्र मोहम्मद सलीम कुरेशी जाति कसाई निवी वार्ड नं. 30 चूरू तहसील व जिला चूरू राज.

—प्रार्थी—

बनाम

1. मोहम्मद सलीम पुत्र यासीन जाति मुसलमान कसाई वार्ड नं. 30 चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
2. मोहम्मद याकूब पुत्र यासीन जाति मुसलमान कसाई निवासी वार्ड नं. 30 चूरू, तहसील व जिला चूरू राज.
3. मोहम्मद जुबेर पुत्र उस्मान गनी जाति मुसलमान व्यापारी निवासी वार्ड नं. 20 चूरू, तहसील व जिला चूरू राज हाल निवासी सांताक्रुज वेस्ट मुम्बई
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

—अप्रार्थीगण—

उप खण्ड अधिकारी (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रार्थीगण
2. अधिवक्ता श्री रघुसोनी अप्रार्थी सं. 3

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से उपरोक्त अनुवानी दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है। यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 948 तादादी 11 बीघा 10 विश्वा, खसरा नम्बर 959 तादादी 14 बीघा कुल किता 2 कुल तादादी 25 बीघा 10 विश्वा वाके रोही चूरू में स्थित है जो पूर्व में प्रार्थीगण के दादा के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि रही है।

प्रार्थीगण के दादा स्वर्गवास हो चुका है तथा उपरोक्त कृषि भूमि विरासतन प्रार्थीगण के पिता मो. याकूब व उके भाई साबिर, रफीक व बहन सुबे दौलत के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्सा के दर्ज हो गई ।

उपरोक्त कृषि भूमि अब हैक्टेयर में दर्ज हो चुकी है, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 948 तादादी 2.9087 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 959 तादादी 3.510 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 6.4497 हैक्टेयर भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण के पिता मोहम्मद सलीम का 13595 हैक्टेयर तथा इतना ही अप्रार्थी संख्या 02 मों. याकूब के खातेदारी का है।

उपरोक्त कृषि [illegible] विरासतन दादा के स्वर्गवास के पश्चात् प्राप्त हुई है इसलिए प्रार्थीगण के [illegible] में प्रार्थीगण का भी 2/3 हिस्सा खातेदारी का है जिसे घोषित [illegible] जा रहा है।

प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी सं. 01 [illegible] सलीम व अप्रार्थी संख्या [illegible] याकूब ने एक उपहार पत्र दिनांक 03.07.2018 को अप्रार्थी [illegible] को अप्रार्थी संख्या 0[illegible] जुबेर के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

में कर दिया है, जिसमें प्रार्थीगण के पिता ने अपना सम्पूर्ण हिस्से को अंतरित कर दिया है जबकि उनको सम्पूर्ण हिस्से को उपहार करने का काई अधिकार नहीं था क्योंकि यह कृषि भूमि दादा से विरासत में आई थी इसलिए दादा से पिता के हिस्से में आई भूमि में से प्रार्थीगण के हक 2/3 हिस्से की हद यह उपहार पत्र शुरू से शून्य व निष्प्रभावी है, जिसे शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा चुका है।

यह कि उपहार पत्र से अप्रार्थी सं. 3 के खातेदारी होने के पश्चात् उसने इस कृषि भूमि को प्लाटों के रूप में अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है तथा अब भूमि का समतलीकरण कर वहां प्लाट के रूप में विक्रीत की जा रही है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण का मुकाबला करने में असमर्थ हैं क्योंकि अप्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है तथा भूमि खरीद फरोख्त के कारोबार से जुड़े हैं। इसलिये जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को रोका जाना आवश्यक है कि वे उक्त कृषि भूमि को विक्रय, रहन, व्यय या मुन्तकिल नहीं करें, ना ही प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करें। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है तथा अपने हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा व काश्त होने से सुविधा के सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमियों को विक्रय किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्तिनिय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ता फैसला दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि – वो विवादित कृषि भूमि मूल खसरा नम्बर 948 तादादी 2.9087 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 959 तादादी 3.5410 हैक्टेयर वाके रोही चूरू में स्थित है, में प्रार्थीगण की भूमि के हिस्सा में प्रार्थीगण के कब्जा एवं काश्त में किसी तरह की बाधा नहीं डालें, ना डलवाये, ना उसे रहन, बैय, मुन्तकिल या विक्रय करे। ऐसा कोई कार्य या उपकार्य नहीं करें जो प्रार्थीगण के हितों के खिलाफ हो।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण आवश्यक प्रकृति को होने से अन्तरिम निषेधाज्ञा का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से अन्तरिम स्थगन आदेश बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर का दिनांक 20.12.2018 को जारी किया गया कि वादगत कृषि भूमि मूल खसरा नम्बर 948 तादादी 11 बीघा 10 विश्वा, खसरा नम्बर 959 तादादी 14 बीघा कुल तादादी 6.4497 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर 2823/959, 2824/959 व 948 वाके रोही चूरू तहसील चूरू में प्रार्थीगण के पैतृक हिस्से तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 01 पर विधिवत तामिल होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी सं. 01 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता हिरालाल व अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता रघुनन्दन सोनी उपस्थित हुए। आर.ए.ए. की ओर से पत्रावली चाहे चाने पर पत्रावली आर.ए.ए. बीकानेर को भिजवाई गई। अप्रार्थी [illegible] 3 की ओर से माननीय नयायाय की अपील संख्या 03/2019 अनुवानी [illegible] आदि के निर्णय दिनांक 11.11.2019 की प्रति पेश की जिसे शामिल [illegible] न्यायालय में अपील स्वीकार कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर तीन माह में निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया। पत्रावली को पुनः नम्बर पर लेकर उभय पक्ष को सुना गया। अप्रार्थी संख्या 01 पर पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

में एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता शिवगौतम व अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से रघुनन्दन सोनी उपस्थित हुए। अधिवक्ता उभय पक्ष के निवेदन पर बहस सुनी गई।

बहस में प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि उक्त वादगत भूमि दादालाई पैतृक भूमि है जो जमाबंदी में पिता के नाम है । पिता के हिस्से में से हमारा हिस्सा 2/3 हिस्सा है तथा प्रार्थीगण के पिता 1/3 हिस्सा के ही हकदार है। जबकि प्रार्थीगण के पिता ने अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि उपहार में अप्रार्थी संख्या 03 के हिस्से में कर दी। अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से नक्शा पेश किया गया तथा निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 उक्त वादगत भूमि की प्लॉटिंग कर रहा है। शरियत विधि कृषि भूमि पर लागू नहीं होती है। मेरा दावा घोषणा का है तथा दावे में मेरा हिस्सा तय होना है अतः हमारा प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इसी अनुरूप सुविधा का संतुलन भी हमारे पक्ष में है तथा यदि अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि को दौराने दावा विक्रय या खुर्द बुर्द कर देता है तो मेरा वाद कारण ही नष्ट हो जायेगा और हमें अपूर्णीय क्षति होगी। अतः ता फैसला मूल दावा वादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्थान)

अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से लिखित बहस पेश की गई। बहस में निवेदन किया गया है कि चूंकि जब कोई व्यक्ति अपने आपको मुस्लिम होना स्वीकार होने से स्वीय विधि के नियम अधिभावी होने से शरियत विधि में विरासतन हेतु पैतृक सम्पति हेतु विशेष तौर पर स्व अर्जित और पैतृक सम्पति में कोर्ट द्वारा विभेद नहीं किया गया। धारा 52 में स्पष्ट उल्लेख किया है जीवित व्यक्ति का कोई उतराधिकारी नहीं होता अतः प्रार्थीगण जाबिद आदि के पिता जीवित होने की अवस्था में प्रार्थीगण को पैतृक सम्पति में हक मांगने का अधिकार नहीं है। साथ ही **Board of revenue Rajasthan Ajmer R.R.T. 2027(2) page no 803** अनुवानी हसन बनाम श्रीमती रूकसाना आदि दृष्टान्त पेश किये गये।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा की पैतृक खातेदारी की कृषि भूमि रही है जिनके स्वर्गवास के बाद यह भूमि प्रार्थीगण की पिता के उसके हिस्से की भूमि दर्ज हुई है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा करवाये गये उपहार पत्र दिनांक 03.07.2018 के जरिये भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 3 के नाम जमाबन्दी में दर्ज हो चुकी है। प्रार्थीगण ने अपने दावा व प्रार्थना पत्र पेश कर पैतृक कृषि भूमि में अपने हक अधिकारों की घोषणा करवाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण द्वारा पेश छायाचित्रों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त कृषि भूमि का समतलीकरण किया जाकर अप्रार्थी सं. 03 द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है। दूसरी तरफ अप्रार्थी सं. 01 को प्रकरण की विधिवत सूचना होने के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं आये हैं तथा अप्रार्थी संख्या 02 का जवाब बंद हो चुका है तथा बहस के वक्त अनुपस्थित रहे। उपस्थित अप्रार्थी सं. 3 ने निवेदन किया कि प्रकरण के समस्त पक्षकारों का मुस्लिम धर्म का होने से माता व पिता के मौजूद रहते उनके जीवनकाल में प्रार्थीगण को अपना हक हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होने से प्रार्थी को दावा लाने का ही [illegible] नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. औचि[illegible] है [illegible]र्थीगण के विरुद्ध कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । अतः प्र[illegible] किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:32 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदा[illegible] की है भूमियां रही है जो पत्रावली पर मौजूद

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दस्तावेजात से भी प्रमाणित होता है तथा इससे अप्रार्थीगण की इन्कारी भी नहीं है। प्रर्थी का दावा घोषणा का है जो बाद साक्ष्य सबूत तय होना है इस प्रकार वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की भूमियां होने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है जिसके फलस्वरूप सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि दौराने दावा अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त जाएगाा का विक्रय या खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति से इन्कार नहीं किया जा सकता, वहीं कानुनी पेचिदगियां भी बढेगी। अधिवक्ता अप्रार्थी का एक ही आक्षेप है कि प्रार्थीगण मुस्लिम समुदाय से है अतः आर.टी.ए. की धारा 40 के अनुसार प्रार्थीगण स्वीय विधि में शासित है अतः जीवित पिता की चाहे पैतृक सम्पति हो प्रार्थीगण को हक मांगने का अधिकार नहीं है अतः प्रार्थीगण दावा लाने के अधिकारी नहीं है तो प्रार्थीगण आर.टी.ए. 212 के तहत भी कोई रिलीफ अप्रार्थीगण के विरूद्ध पाने के अधिकारी नहीं है अतः इनका अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र खारिज फरमावें। चूंकि सम्पति पैतृक है तथा घोषणा का दावा है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण की आपति एक कानूनी बिन्दू है जिसका विनिश्चय मूल दावा में पर्याप्त साक्ष्य सबूत, सुनवाई एवं बहस के बाद ही होना है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी की होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है तथा अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा वादगत कृषि भूमि का समतीकरण कर सड़क निर्माण व प्लॉटिंग किया जाना परिलक्षित हो रहा है इसलिए वादगत कृषि भूमि को खुर्द बुर्द होने से बचाने, अकृषि उपयोग को रोकने हेतु एवं दौराने सुनवाई दावा किसी तरह की पेचीदगी एवं वाद बहुलता नहीं बढे इसके लिए अप्रार्थी सं. 03 को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना यह न्यायालय उचित मानता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने योग्य प्रतीत होता

आदेश

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता फैसला दावा पबन्द किया जाता है कि वे वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 959 व 948 रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू की भूमि की मौका एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 05.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी :: चूरू :: राजस्थान

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:32 IST
Reason: SelfAttested